

अंतिम ज्ञापन
(नियम 316)

035482

थाना

प्र० इ० रि० सं०

तिथि

धारा

गैर प्र० इ० रि०

तिथि

धारा

परिवादी

अभियुक्त, संदिग्ध, फरार को 'अभि०', 'सं०' 'फ०' से अलग-अलग कर दिखाया जाएगा।	सम्पत्तिमूलक अपराधों में सिद्धदोष व्यक्तियों की शारीरिक विलक्षणताएं	सत्यापित निवास-स्थान, यथा		सजा तथा धारा एवं तिथि	यदि अंगुलांक से पता चला गया हो अथवा यदि निवास-स्थान का सत्यापन नहीं किया गया हो तो नीचे तथ्य का उल्लेख करें।
		प्राप्त	धाना और जिला		
1	2	3	4	5	6

इनके बारे में मजिस्ट्रेट का आदेश	प्रतिभओं जमानत और मुचलका की उन्मुक्ति आरक्षी द्वारा कब्जे में ली गयी सम्पति निगरानी की आवश्यकता आरक्षी का आचरण
अधीक्षक का आदेश	निगरानी अपराध निर्देशिका में सिद्धदोष और संदिग्ध व्यक्तियों के नाम दर्ज करना।
पूर्व दोषरिद्धि, अपराध का स्थान, सजा तिथि और निवास-स्थान जिसमें ग्राम, थाना और जिला शामिल रहेगा। क्या अंगुलांक लिए गए हैं ?	

यदि अंगुलांक ब्यूरो द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में पता लगा लिया गया हो तो उसे समन्वेषित (ट्रेस्ट) या नहीं पता लग पाया हो तो असमन्वेषित (अनट्रेस्ट) बताया जाएगा
यदि उसके स्थान का स्थापन किया गया हो तो पहचान और यदि नहीं किया गया हो तो

असमन्वेषित

समन्वेषित

अनपहचान बनाया जाएगा यथा अथवा आदि।

अनपहचान

पहचान

यदि दोषमुक्त या उन्मोचित कर दिया हो तो निर्णय की एक प्रति संलग्न करें।

अभियुक्त की एक प्रति संलग्न करें।